चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 30.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 30.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा दिनाँक 30.08.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 163/2002 धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त विद्यासागर यादव उर्फ लालजी उर्फ पहलवान पुत्र भइयालाल निवासी बरकोट थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 4000/- रुपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0) श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 30.08.2025 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0स0 168/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त लवकुश पुत्र बब्बू निवासी सिरावल माफी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 7596 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शीबू उर्फ शुभम उर्फ शिवम पटेल पुत्र रामशरण उर्फ चुनका पटेल निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी सीतापुर

2.आरक्षी नागेश कुमार

3.आरक्षी अनुज

4.आरक्षी रवीन्द्र कुमार

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे के मार्गदर्शन में थाना बरगढ़ पुलिस टीम ने लूट के आरोपी

अभियुक्त को लूट के 01 अदद मोबाइल रेडमी 9i, 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मिथुन सरोज पुत्र सुरेमन सरोज निवासी ग्राम ओसा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी

बरामदगीः-

लूट का 01 अदद मोबाइल रेडमी 9i नीला रंग

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तारी का स्थान,समय,दिनाँक-

शुभ ढ़ाबा के आगे करीब 50 मीटर मऊ की तरफ, 04.30 ए0एम0 बजे,30.08.2025

संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 01.08.2025 को वादी विवेक कुमार शुक्ला पुत्र श्री हरीप्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम मनका थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 31.07.2025 को समय लगभग 05.00 बजे शाम अपनी मोटर साइकिल से बरगढ़ बाजार अपने साथी शंकर लाल शुक्ला के साथ जा रहा था कि जैसे ही मनका रोड से डोडिया गांव वाली रोड पर मुड़ा कि पहले से बोलेरो गाड़ी नं0 MP 17 CA 7807 के साथ 3-4 अज्ञात व्यक्तियों सहित एक अज्ञात महिला भी खड़ी थी। जैसे ही मैने पास लेना चाहा कि उक्त लोग दाये की तरफ व महिला बीच रोड पर आकर खड़ी हो गयी। तब मैनें अपनी मोटर साइकिल रोक दी तो उक्त लोग मेरे पास आये और मेरी गाड़ी की चाभी, जेब में रखा मोबाइल रेडमी 9i व 3,530/- रुपये नगद भी निकालकर भाग गये। तभी साथी शंकर लाल द्वारा बुलेरो गाड़ी की फोटो खीच लिया गया था। इस सूचना पर थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 67/025 धारा 309(4) बीएनएस बनाम 3-4 अज्ञात व्यक्ति व एक महिला अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे।

आज दिनाँक 30.08.2025 को उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर शुभ ढ़ाबा के आगे करीब 50 मीटर मऊ की तरफ आरोपी अभियुक्त मिथुन सरोज पुत्र सुरेमन सरोज निवासी ग्राम ओसा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी उपरोक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की जामतलाशी से लूट का 01 अदद मोबाइल रेडमी 9i रंग नीला, 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त से बरामद मोबाइल के सम्बन्ध में पूंछताछ की गयी तो बताया कि करीब एक माह पहले मनका डोडियामाफी रोड से 1. संगीता वर्मा पत्नी अमृत लाल वर्मा निवासी ग्राम चौखण्डी थाना अतरैला जनपद रीवा म0प्र0 2. राजू सिंह पुत्र राज सिंह निवासी रहीमपुर मैलानी थाना करारी जनपद कौशाम्बी 3.चुन्नीलाल पुत्र इन्दल सरोज निवासी ओसा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी के साथ लूट कर भाग गया था। अभियुक्त मिथुन सरोज के पास से लूट की मोबाइल रेडमी 9i की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 82/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम उपरोक्त अभियुक्त पंजीकृत किया गया।

पूर्व में दिनांक 07.08.2025 को घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी संख्या MP 17 CA 7807 व मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता संगीता वर्मा पत्नी अमृत लाल वर्मा निवासी ग्राम चौखण्डी थाना अतरैला जनपद रीवा म0प्र0 को लूट के 1200/- के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष अभियुक्त 1. राजू सिंह पुत्र राज सिंह निवासी रहीमपुर मैलानी थाना करारी जनपद कौशाम्बी 2.चुन्नीलाल पुत्र इन्दल सरोज निवासी ओसा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली थाना बरगढ़ की पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह
2.उ0नि0 श्री अमरेश चन्द्र तिवारी
3.आरक्षी पीयूष सरन श्रीवास्तव
4.आरक्षी उमेश कुमार

(7).श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय विशेष न्यायालय एण्टी डकैटी कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनाँक 30.08.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 513/2008 धारा 147,148,149,186,216,302,307,324,332,353 भा0द0वि0, 12 डी0ए0 एक्ट, 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. बिन्दा केवट पुत्र गोपी केवट निवासी बनकट पुरवा थाना राजापुर (हाल थाना सरधुवा) जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 71 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा147,148,186,216,353,324,332 भा0द0वि0 व 07 क्रिमिनल लॉ एक्ट के आरोपी अभियुक्त 2.जगन्नाथ केवट पुत्र गोपी केवट 3. शिवऔतार पुत्र गोबर्धन केवट 4.रामबली पुत्र गोबर्धन केवट 5.महाबली पुत्र गोबर्धन केवट 6.श्रीमती केवली पत्नी विश्वनाथ 7.श्रीमती कल्ली पत्नी जगन्नाथ 8.श्रीमती जयरानी पत्नी बिन्दा केवट 9.श्रीमती उषा पत्नी शिवऔतार 10.श्रीमती कैलाशिया पत्नी प्रीतम 11.श्रीमती खिल्ली उर्फ भिन्नी पत्नी गोपी केवट 12.कुमारी बच्ची पुत्री बैजनाथ 13.श्रीमती चिरौजी पत्नी बैजनाथ केवट निवासीगण बनकटपुरवा थाना राजापुर (हाल थाना सरधुवा) जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष की कारावास व 11-11 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.05.2008 को थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार पाण्डेय थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दिया गया था कि बदमाशों द्वारा एक राय होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करना जिससे आरक्षी 103 अभय कुमार राय की मृत्यु हो जाना तथा शेष कर्मचारीगण घायल हो जाना । इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 513/2008 धारा 147,148,149,216,302,307,332,353 भा0द0वि0, 12/14 डी0ए0 एक्ट व 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट बनाम 1.नान उर्फ घनश्याम पुत्र नन्हू केवट निवासी सुरवल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 2.बिन्दा केवट पुत्र गोपी केवट 3.जगन्नाथ केवट पुत्र गोपी केवट 4. शिवऔतार पुत्र गोबर्धन केवट 5.रामबली पुत्र गोबर्धन केवट 6.महाबली पुत्र गोबर्धन केवट 7.रमेश पुत्र बैजनाथ केवट 8.बैजनाथ केवट पुत्र गोबर्धन केवट 9.श्रीमती केवली पत्नी विश्वनाथ 10.श्रीमती कल्ली पत्नी जगन्नाथ 11.श्रीमती जयरानी पत्नी बिन्दा केवट 12.श्रीमती उषा पत्नी शिवऔतार 13.श्रीमती कैलाश पत्नी प्रीतम 14.श्रीमती सिन्नी पत्नी गोपी केवट 15.कुमारी बच्ची पुत्री बैजनाथ 16.श्रीमती चिरौजी पत्नी बैजनाथ केवट निवासीगण बनकटपुरवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना थानाध्यक्ष रैपुरा श्री चिरंजीव मोहन द्वारा सम्पादित की गयी थी। अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 07.08.2008 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के

मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा दौराने चेंकिग अभियुक्त 1. आनन्द किशोर यादव पुत्र रामलखन यादव 2.श्याम औतार उर्फ भाई यादव पुत्र रामऔतार निवासीगण ग्राम कसहाई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर , 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ,03 अदद खोका कारतूस 315 बोर एवं बिना नम्बर पल्सर मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया एवं मोटर साइकिल उपरोक्त को 207 एम वी एक्ट में सीज किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

03 अदद खोका कारतूस

01 अदद पल्सर मोटर साइकिल(बिना नम्बर)

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह चौकी प्रभारी रंगौली

2.आरक्षी शुभम शर्मा

3.आरक्षी जयनारायण पटैरिया

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शनि कुमार चतुर्वेदी तथा उनकी टीम द्वारा दौराने चेंकिग अभियुक्त आशु सिंह पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम पुरैनी थाना कुलगवां जनपद सतना को 01 अदद देशी तमंचा ,01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री शनि कुमार चतुर्वेदी चौकी प्रभारी शिवरामपुर

2.आरक्षी दुर्गेश कुमार

3.आरक्षी चालक विवेक कुमार